न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— श्री अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 21/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/63

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी

वादीगण:

1.सलेमान खां उर्फ सुलेमान पुत्र हकीम उर्फ हकीमा
2.रहमान खां पुत्र हकीम उर्फ हकीमा
3.बाबु खां उर्फ मूछे खां पुत्र हकीम उर्फ हकीमा जाति मुसलमान
निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

प्रतिवादी:

1.आकू पुत्र मेहरे खां
2.इवरा पुत्र मेहरे खां
3.कादरा पुत्र मेहरे खां
4.आरब खां पुत्र वली खां
5.लतीफ खां पुत्र वली खां
6.खतू पत्नि वली खां
7.बरगत खां पुत्र साकर खां
जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
8.सरपंच ग्राम पंचायत नवोड़ा बेरा
9.जोसफ खां पुत्र साकर खां
10.मलू पत्नि लतीफ खां
जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
11.मेहबूब खां पुत्र हाजी बगते खां जाति मुसलमान निवासी सावरसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
12.बिस्मला खां पत्नि घोले खां
13.लाली पत्नि निजाम खां
14.नसीर खां पुत्र आकू खां
जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
15.दल्ली पत्नि हनीफ खां
जाति मुसलमान निवासी भगतलाई
16.निमाजी पत्नि नसीर खां
जाति मुसलमान निवासी भगतलाई तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) ※ बालोतरा ※

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 21/2023
रालेमान उर्फ सुलेमान बनाम आकू वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण

2.श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 12,13 एवं 15

3.श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 से 11 व 14,16

4.प्रतिवादी संख्या 8 व 17 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक

1.प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 12,13 एवं 15 अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश की गई थी। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया,जो पत्रावली मे शामिल मिसल है।

2.तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई थी। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि खसरा संख्या 547,1346,955,1029,1093, 1317,1324,1028 जागीर के वक्त सेटलमेंट संवत् 2010–2011 में हकीम वल्द जादम खां टावरी, मुसलमान का कब्जा काश्त होने से पर्चा लगान् संख्या 35 हकीमा वल्द जादम खां के नाम जारी किया। पर्चा लगान के कॉलम संख्या 02 में खसरा संख्या के साथ खेत का नाम अंकित किया गया। सेटलमेंट वालों ने सेटलमेंट के वक्त वादग्रस्त खसरों का खसरा बंदोबस्त जारी किया गया,जिसमें हकीमा वल्द जालमखां का कब्जा–काश्त दर्ज करतें हुए जारी किया। इस प्रकार हकीमा वल्द जादमखां के नाम से उसके जीवनकाल तक श्रखंलाबद्ध तरीके से चलता रहा हैं तथा वहीं काबिज रहा है। उसी के द्वारा राज्य सरकार को भूमि का लगान अदा किया जाता रहा हैं। हकीमा वल्द जादमखां का देहांत लगभग वर्ष 1970–71 में हुआ था,तब उसके वारिसान् प्रतिवादी मौके पर काबिज थे। खेत में बनी ढाणी में निवास करते थे और आज भी मौके पर प्रतिवादी काबिज चला आ रहे है। राजस्व रेकर्ड़ में खतौनी में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा हकीया वल्द जादमखां के स्थान पर हकीम वल्द आदमखां गलती से लिख दिया गया,इसी नाम का दुसरा व्यक्ति हकीम वल्द आदमखां जो जाति मंढा, मुसलमान था, जो वक्त सेटलमेंट ग्राम पाटोदी का रहवासी था,ने उसके नाम सेटलमेंट में कोई भूमि का पर्चा लगान् ही जारी किया गया था,लेकिन हकीमा वल्द जादमखां के वारिसान् अनपढ देहान्ती व्यक्ति व कानूनी जानकारी का अभाव होने के कारण इसका नाजायज फायदा उठाकर हकीमा वल्द आदमखां मंढा मुसलमान के वारिसान् रेहमान्,सुलेमान् व बबुखां ने हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए हकीमा वल्द जादमखां टावरी मुसलमान के वारिसान् मेहराखां, आकू,

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा, कादर वली की जगह गलत व अवैध तरीके से नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा दिया गया,जबकि उक्त अवैध नामान्तकरण भरने से पूर्व हकीमा वल्द जादमखां टावरी मुसलमान के वारिसान् की कोई जांच नहीं की गई। जब हकीमा वल्द जादमखां के वारिसान् को उक्त अवैध नामान्तकरण भरे जाने की जानकारी होने पर उन द्वारा तहसीलदार पचपदरा को शिकायत की गई,जिस पर बाद जांच अवैध भरे गए नामान्तकरण को गलत ठहराते हुए तहसीलदार पचपदरा द्वारा पुनः म्यूटेशन संख्या 847/01.01.1983 को हकीमा वल्द आदमखां के वारिसान् के नाम भरा गया, जिसे पारित हुए लगभग 40 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है तथा प्रतिवादी बहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज हैं। इस प्रकार वादीगण के वादपत्र अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि वादीगण ने यह कथन् नहीं किया हैं कि वक्त सेटलमेंट वर्ष 2010–11 में वादग्रस्त भूमि पर उनके हकपूर्वाधिकारी हकीम वल्द आदमखां का कब्जा काश्त था तथा पूर्वाधिकारी हकीम वल्द आदमखां के नाम सेटलमेंट वालो ने पर्चा लगान् व खसरा बंदोबस्त जारी किया था। वादीगण के हकीमा वल्द जादमखां के नाम जारी पर्चा लगान् संख्या 35 व खसरा बंदोबस्त को अपने दावा में चुनौती ही दी हैं। केवलमात्र नामान्तकरण संख्या 847 को आधार मानकर दावा मात्र प्रतिवादी को तंग परेशान व खर्चा से बरबाद करने हेतु वाद पेश किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादीगण ने 40 वर्ष बाद अधिकारो की घोषणा का वाद पेश किया हैं। भूमि का कब्जा प्राप्ति हेतु दावा पेश नहीं किया गया हैं न भूमि पर कब्जा होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है,ऐसी दशा में अगर भूमि पर वादीगण के कोई हक अधिकार उत्पन्न हुए थे,(जिसे प्रतिवादी स्वीकार नहीं करते है)जो धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत् EXTINGUISHES हो चुके है तथा वादीगण भूमि का कब्जा प्राप्त करने के हक को खो चुका है। कब्जा के अभाव में घोषणा का दावा कानून् वर्जित है। अतं में निवेदन किया कि वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन मे 2017(1) डी.एन.जे.(राज.1) पृष्ठ संख्या 111 अनवान आनन्दपालसिंह राजपूत बनाम सुमेरसिंह राजपूत का न्यायिक द्रष्टांत पेश किया गया।

3.इसके विपरीत वादीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया था,कि प्रतिवादी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश की गई है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वक्त सेटलमेंट हकीम खां वल्द जादम खां टावरी के नाम से पर्चा खतौनी जारी ही नहीं हुई थी,अलावा इसमें किस व्यक्ति के नाम खतौनी जारी हुई, यह बिन्दु आदेश 07 नियम 11 की विषय वस्तु नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम वल्द आदमखां के एकल खातेदारी कब्जा–काश्त की रही है। हकीमा वल्द जादम खां का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा–काश्त ही नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से आदिनांक हकीम वल्द आदम खां व बाद में उसके वारिसान् का ही कब्जा–काश्त रहा है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रार्थना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

त्र में मनगढन्त तथ्यो को उल्लेखित किए गए है, जिसमें रति भर भी सफलता मिलने की संभावना नहीं है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम वल्द आदमखां की खातेदारी प्रविष्टि चली आ रही थी। तहसीलदार को रेकर्डेड़ खातेदार की प्रविष्टियों को रद्दोबदली करने या खातेदारी अधिकार समाप्त करने की कोई लॉक्स स्टेण्डी नहीं है, यदि राजस्व अभिलेख में वक्त सेटलमेंट जैसा प्रतिवादी कथन कर रहे है,वैसी कोई परिस्थिति होती तो प्रतिवादी इतने वर्षो तक चुपचाप बैठे नहीं रहते। राजस्व अभिलेख में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम दर्ज था,तहसीलदार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर म्यूटेशन संख्या 847 पारित किया है,जो एक तरफ प्रतिवादी स्वंय म्यूटेशन से हको का सजृन नहीं होने का कथन करते है,दूसरी तरफ प्रतिवादी के नाम म्यूटेशन से नाम दर्ज करने का कथन् करते है। तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर म्यूटेशन की प्रविष्टिया अंकित की है, जिसमें प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार या हक न तो मिले और न मिल ही सकते है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मिसल बंदोबस्त पर्चा खतौनी इत्यादि वादीगण ने प्रस्तुत किए हैं। वक्त सेटलमेंट से वादीगण का ही बतौर मालिक कब्जा वादीगण व उनके हकपूर्वाधिकारी का रहा व है,तो कब्जा प्राप्ति का अनुतोष प्राप्त करने का अनुतोष नहीं चाहने का कोई कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादी का यह कथन गलत है कि धारा 63 R.T.ACT के तहत वादीगण के अधिकार निर्वाचित हो चुके हो। अतं में निवेदन किया कि प्रतिवादी केवलमात्र प्रकरण को लम्बित करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है,जो सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय खर्चो खरिज किया जावे।

4.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं न्यायिक द्वष्टातों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया व तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। वादीगण की ओर से वाद–पत्र अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत कि वक्त सेटलमेंट मूल राजस्व गांव पाटोदी उत्तर की खसरा संख्या 547,1333, 1346, 1317, 1324, 955, 1029, 1093, 1027, 1028 कुल रकबा 371 बीघा भूमियां वक्त सेटलमेंट वादीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम वल्द आदमखां के नाम एकल खातेदारी दर्ज हुई थी। वक्त सेटलमेंट से वादीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम वल्द आदमखां व उसके फौत होने पर वादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। हकीम वल्द आदमखां के सन् 1970–1971 में फौत होने पर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई,जो बतौर खातेदार रेकर्ड़ के संवत् 2038–2041 की जमाबंदी में यथावत रूप से चलती रही। तत्पश्चात् तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों से प्रतिवादी ने मिलीभगत करते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड़ से वादीगण के नाम अवैधानिक तरीके से नामान्तकरण संख्या 847 के जरिए विलोपित करवाते हुए प्रतिवादी की खातेदारी का दर्ज की गई,जबकि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी का कोई हक–हकूक नहीं होने के उपरांत भी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण के नाम विलोपित किए गए,जो कि नामान्तकरण संख्या 847 अवैध तरीके से पारित किया गया है,जबकि वादीगण ग्राम के निवासी व अनपढ़ होने के कारण इतने समय तक रेकर्ड देखने का काम नहीं पड़ा। अभी दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादीगण की कब्जा शुदा भूमियों में दखलदांजी करने की कोशिश किए जाने पर वादीगण द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर उन द्वारा बताया गया की वादीगण का वादग्रस्त भूमियों में नाम दर्ज नहीं है,बल्कि प्रतिवादी के नाम दर्ज होने के कारण वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादपत्र पेश किया गया तथा वादग्रस्त भूमियां के संबंध में पारित नामान्तकरण संख्या 847 निरस्त कर, प्रतिवादी संख्या 01 ता 07, 09 ता 16 का नाम राजस्व रेकर्ड़ से हटाकर रेकर्ड़ दुरस्त कर इसी अनुसार रेकर्ड़ में अमल दरामद करवाने व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 व 14 ता 16 द्वारा अपने नाम उपरोक्त भूमियां की प्रविष्टियां अवैध तौर से अपने नाम दर्ज होने में बाद अनाधिकृत अवैध शून्य रूप से जो अतंरण प्रतिवादी संख्या 09 से 13 के नाम किया गया,को वादीगण के हको के विरूद्ध अनाधिकृत अवैध होने से अप्रर्वतनीय करार देने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध माफिक इस्तदुआ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है।

न्यायालय हाजा यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के प्रावधान का उल्लेख किया जाना उचित समझता है:-

धारा 88.अधिकार की घोषणा किय जाने हेतु दावे-(1) कोई व्यक्ति जो आसामी या संयुक्त आसामी है,इसकी घोषणा करवाने के लिये कि वह आसामी है या उक्त संयुक्त काश्तकारी मे अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिये दावा दायर कर सकता है।

(2) खुदकाश्त का आसामी इस बात की घोषणा के लिये दावा कर सकता है,कि वह खुदकाश्त का आसामी है।

(3)शिकमी आसामी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लेकर वह भूमि धारणा करता है यह घोषणा करवाने के लिये दावा दायर कर सकता है कि वह शिकमी आसामी है।

(4) राज्य सरकार के अलावा कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि क्षेत्र का आसामी या संयुक्त आसामी या खुदकाश्त का आसामी अथवा शिकमी आसामी होने का दावा करता है,उसके अधिकार की घोषणा के लिये दावा कर सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है,कि अधिकारो की घोषणा के लिए कोई व्यक्ति जो आसामी या सह आसामी, खुदकाश्त का आसामी, शिकमी-आसामी एवं राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी ही अधिकार की घोषणा के लिए दावा कर सकता है। जबकि वादीगण के वाद-पत्र का अवलोकन करने मात्र से प्रतीत होता हैं कि वादीगण का वाद-पत्र अधिकारो की घोषण का नहीं होकर वादग्रस्त भूमियों से संबंध में पारित आलोच्य नामान्तकरण संख्या 847 के आधार पर लाया गया है,जिसमें आलोच्य नामान्तकरण संख्या 847 की स्वीकृति की वैधानिकता को चुनौती दी गई हैं,जो कि प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार का बनता नही है,क्योंकि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र का मुख्य आधार ही नामान्तकरण संख्या 847 को बताया हैं,न कि सेटलमेंट रिकॉर्ड को चुनौती दी गई है। इसके अतिरिक्त वाद–पत्र के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया जाना अति आवश्यक है,क्योंकि वादीगण का कथन् है कि वादग्रस्त भूमिया सेटलमेट में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम वल्द आदम खां के नाम दर्ज हुई थी। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमियों की जमाबंदी,खतौनी सवंत् 2026–2029 व नामान्तकरण संख्या 847 एवं खतौनी सवंत् 2039–2041 पेश की गई। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड का भी अवलोकन किया। जिसमें पाया कि रजिस्टर नम्बर 322 पर्चा नम्बर 35 पर्चा तजबीज लगान ग्राम पाटोदी तहसील पचपदरा पता ठिकाना पाटोदी जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 547 रकबा 189.04 बीघा जान्दवा वाला,खसरा संख्या 1333 रकबा 46.07 बीघा टावरी वाला,खसरा संख्या 1346 रकबा 09.06 बीघा टावरी वाला खसरा संख्या 955 रकबा 22.09 बीघा जादम वाला,खसरा संख्या 1029 रकबा 80 बीघा गुगह खां वाला,खसरा संख्या 1093 रकबा 04.11 बीघा जादम वाला,खसरा संख्या 1317 रकबा 08.00 बीघा गोवा वाला, खसरा संख्या 1324 रकबा 10.10 बीघा टावरी वाला,खसरा संख्या 1027 रकबा 00.04 बीघा ढाणी व खसरा संख्या 1028 रकबा 01.04 बीघा टांका भूमि हकीमा वल्द जादम खां कौम मुसलमान सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हुई थी। इस प्रकार यह भली भांति स्पष्ट है,कि वक्त सेटलमेंट के समय वादग्रस्त भूमिया हकीमा वल्द जादम खां के नाम दर्ज हुई थी। इस प्रकार वादीगण का यह कथन् पुरी तरह से निराधार है,कि वादग्रस्त भूमिया वक्त सेटलमेंट हकीम वल्द आदमखां के नाम दर्ज थी। एक समान् नाम होने मात्र से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। इसके अलावा प्रथम राजस्व रेकर्ड खसरा बंदोबस्त,जिसमें खसरा संख्या 547 कृषक के कॉलम में हकीम वल्द जादम खां कौम मुसलमान टावरी इन्द्राज है। इसी तरह खसरा संख्या 1093, 1027, 1028 व 1029 के खातेदार काश्तकार के कॉलम में हकीम खां व. नि. 955 दर्ज किया गया,यानि जो खसरा संख्या 955 का काश्तकार है,वही व्यक्ति उपरोक्त खसरो का खातेदार काश्तकार है। खसरा बंदोबस्त प्रमाणित प्रति खसरा संख्या 955 अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त खसरा के खातेदार कॉलम में हकीम वल्द जादम खां कौम टावरी सिन्धी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1324,1333, 1346 के काश्तकार के कॉलम में हकीम बशरह खसरा संख्या 1317 लिखाा हुआ है यानि की उपरोक्त खसरो का खातेदार संख्या 1317 में जो खातेदार दर्ज है,वही है,जो कि खसरा संख्या 1317 की खसरा बंदोबस्त अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त अवलोकन करने से भली भांति साबित है कि वादग्रस्त भूमिया हकीम वल्द जादम खां कौम टावरी मुसलमान के नाम दर्ज हुई थी। हकीम खां के फौत होने पर उसके वारिसान् के नाम वादग्रस्त भूमिया दर्ज नहीं होकर उसके मिलते नाम के वारिसान् सुलेमान, रेहमान, बाबु खां, के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात् उक्त गलती का पता चलने पर नामान्तकरण संख्या 847/10.01.1983 को दुरूस्ती करते हुए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हकीम वल्द जादमखां के वारिसान् मेहरे खां,साकर खां पिसरान् हकीमखां के नाम पुनः दर्ज की गई,जो आदिनांक प्रतिवादी की खातेदारी में चली आ रही है। इस प्रकार यह पूरी तरह स्पष्ट है कि वादीगण का वाद–पत्र चलने योग्य नहीं है,क्योंकि वाद–पत्र व रिकॉर्ड–अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमिया हकीम वल्द जादम खां कौम मुसलमान टावरी के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई थी, हकीम वल्द जादम खां के फौत होने पर उसके वारिसान् के नाम दर्ज नहीं कर उसके नाम (हकीम खां) से मिलते व्यक्ति के वारिसान् के नाम गलत दर्ज हो गए,उक्त गलती का पता चलने पर नामान्तकरण संख्या 847 के जरिए रेकर्ड दुरूस्ती की गई। उक्त रेकर्ड दुरूस्ती किए हुए लगभग 42 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। यदि आपत्ति होती तो तत्समय वादीगण के हकपूर्वाधिकारी तत्समय उजर–एतराज पेश कर सकते थे,लेकिन ऐसा नहीं किया गया और वादीगण द्वारा भी इतने लम्बे समय तक उजर–एतराज पेश नहीं कीया। इस संबंध में इतना समय व्यतीत होने के उपरांत वाद–पत्र पेश करना का क्या कारण रहे,इस संबंध में कोई संतोषप्रद व औचित्य पूर्ण कारण नहीं बता पाए है। इस प्रकार प्रकरण पर उपलब्ध रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हकूक नही बनता है तथा वादीगण का वाद–पत्र प्रारम्भिक अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमियो प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी हकीमा वल्द जादम खां कौम मुसलमान के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई थी,जिसके वारिसान प्रतिवादी के नाम खातेदारी चली आ रही है। जहां वाद–पत्र प्रारम्भिक अवलोकन से साबित होता हो कि वाद चलने योग्य नही है,तो प्रकरण मे समग्र कार्यवाही किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है,क्योकि ऐसा किए जाने मात्र से न्यायालय हाजा का कीमती समय की बर्बादी होती है तथा हकदार काश्तकार को कानूनी पेरिशानियो का अनावश्यक सामना करना पड़ता है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैच जयपुर के न्यायिक द्वष्टांत 2017(1) डी.एन.जे.(राज.1) पृष्ठ संख्या 111 अनवान आनन्दपालसिंह राजपूत बनाम सुमेरसिंह राजपूत व अन्य वगैरा निर्णय दिनांक 22.12.2016 इस प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा होता है,जिसमे प्रतिपादित है कि तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमो और कानूनी कार्यवाही को यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए और भले ही वे आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के अंतर्गत न आते हो,फिर भी उन्हे धारा 151 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर देना चाहिए। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आलोच्य नामान्तकरण जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा भरा गया था,का पूरे मुकदमे का आधार है,जो प्रारंभिक चरण मे ही ध्यान मे रखा जाना चाहिए। न्यायिक कार्यवाही मे,और वह भी काफी समय पहले,उनके द्वारा की गई स्पष्ट स्वीकारोक्ति को हल्के मे नहीं लिया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पंहुची है,कि वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(अशोक कुमार) 22/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 22/01/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 21/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/63

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण

1.सलेमान खां उर्फ सुलेमान पुत्र हकीम उर्फ हकीमा
2.रहमान खां पुत्र हकीम उर्फ हकीमा
3.बाबु खां उर्फ मूछे खां पुत्र हकीम उर्फ हकीमा जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

प्रतिवादीगण

1.आकू पुत्र मेहरे खां
2.इबरा पुत्र मेहरे खां
3.कादरा पुत्र मेहरे खां
4.आरब खां पुत्र वली खां
5.लतीफ खां पुत्र वली खां
6.खतू पत्नि वली खां
7.बरगत खां पुत्र साकर खां
जाति मुसलमान
निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
8.सरपंच ग्राम पंचायत नवोड़ा बेरा
9.जोसफ खां पुत्र साकर खां
10.मलू पत्नि लतीफ खां
जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
11.मेहबूब खां पुत्र हाजी बगते खां
जाति मुसलमान निवासी साबरसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
12.बिस्मला खां पत्नि घोले खां
13.लाली पत्नि निजाम खां
14.नसीर खां पुत्र आकू खां
जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
15.दल्ली पत्नि हनीफ खां
जाति मुसलमान निवासी भगतलाई
16.निमाजी पत्नि नसीर खां
जाति मुसलमान निवासी भगतलाई तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

सहायक कलक्टर न्यायालय (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबत:–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 21/2023

निर्णय दिनांक :– 22.01.2026

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 12,13 एवं 15 की ओर से श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 9 से 11 व 14,16 की ओर से श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 17 एकतरफा। इस वाद में आज तारीख 22.01.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 22.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर न्यायालय (S.D.O.) बालोतरा

22/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	—	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	—	जोड़	———

22/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा